

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna-6 Mob: 8877918018, 875735880

Polity

By: Karan Sir

1.1 प्रस्तावना की विशेषताएँ

Order Key Points/Heading

- 1. Introduction
- 2. Features
- 3. Impact

> For Student:

- Use this Schema for Developing Answer Writing Skills.
- Word Limit : 700
- Estimated Time : 35
- Draw Diagram or Chart, if required.
- Use Suggested Keyword to Develop Content.
- The Topic is developed using Key Point / Heading Table in the right.

> Introduction:

प्रस्तावना से भारतीय राज्य की प्रवृति और उन उद्देश्यों का ज्ञान मिलता है; जो कि भावी सरकारों द्वारा प्राप्त किए जाने हैं। यह जनता की प्रभुसत्ता को प्रकट करती है; और उस तिथि को दर्ज करती है; जिस दिन संविधान को संविधान निर्माण सभा के द्वारा अंतिम रूप में अपनाया गया था; प्रस्तावना की विशेषताएँ का विश्लेषण तीन शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है:-

> Features:

- 1. सत्ता का स्त्रोत लोकप्रिय प्रभुसत्ता
- 2. राज्य की प्रवृति
- 3. राज्य के उद्देश्य

1. सत्ता का स्त्रोत-लोकप्रिय प्रभुसत्ता

सबसे पहले प्रस्तावना स्पष्ट रूप में जनता की प्रभुसत्ता के सिद्धान्त को स्वीकार करती है; अर्थात इन शब्दों से आरम्भ हम भारत के लोग..... शब्दों से होती है जो इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है; कि समस्त सत्ता का अंतिम स्त्रोत जनता ही है। सरकार अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करती है; संविधान का आधार और प्रभुसत्ता जनता में है; और ये अपनी प्रभुसत्ता जनता से प्राप्त करती है। प्रस्तावना यह भी स्पष्ट करती है; कि सदन के सभी सदस्यों की इच्छा है; कि, इस संविधान की जड़ें, इसकी सत्ता, इसकी प्रभुसत्ता जनता से प्राप्त की जाए। डॉ. अंबेडकर के अनुसार इस स्वरूप में भारत के संविधान की प्रस्तावना अमरीकी संविधान की प्रस्तावना और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना से मिलती है।

प्रस्तावना का आरम्भ इन शब्दों से होता है; कि हम भारत के लोग और इन से भारत के लोगों की प्रभुसत्ता गुण का पता लगता है। 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश प्रभुसत्ता की समाप्ति और भारत के एक प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतन्त्रीय गणराज्य के रूप में उभरने के पश्चात् ऐसी घोषणा आवश्यक हो गयी थी।

2. राज्य की प्रवृति

प्रस्तावना एक राज्य (देश) के रूप में भारत की पांच प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करती है। यह भारत को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्रीय, गणराज्य घोषित करती है।

आरम्भ में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्म-निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं थे। ये इसमें 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किए गए। इन पांच विशेषताओं में से प्रत्येक को स्पष्ट करना आवश्यक है-

1. भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य है

प्रस्तावना घोषित करती है कि भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है। स्वतन्त्रता के बाद भारत स्वयं निर्णय करने के लिए और इनको अपने लोगों और क्षेत्रों पर लागू करने के लिए आंतरिक और बाहरी रूप में स्वतन्त्र है। संविधान की प्रस्तावना भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश होने की घोषणा करती है। शब्द प्रभुसत्ता का अर्थ आंतरिक और बाहरी प्रभुसत्ता दोनों को प्रकट करता है। इसका अर्थ यह भी है कि भारत की सरकार आंतरिक और विदेशी मामलों में स्वतन्त्र है; और यह अब किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण (अधीन) नहीं है।

2. भारत एक समाजवादी राज्य है।

भारतीय संविधान में आरम्भ से ही समाजवाद की भावना पाई जाती थी; पर प्रस्तावना में श्समाजवादश् का शब्द शामिल करने के लिए 1976 में संशोधन किया गया। समाजवाद अर्थात भारत सभी प्रकार का शोषण समाप्त करने के लिए आय, स्त्रोतों और सम्पत्ति के न्यायपूर्ण विभाजन की प्राप्ति अपने समस्त लोगों के लिए सामाजिक, सार्वजानिक भलाई आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। परन्तु इस उद्देश्य के लिए वह तानाशाही, मार्क्सवादी / क्रान्तिकारी ढंगों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है; यह सिर्फ शान्तिपूर्वक, संवैधानिक और लोकतन्त्रीय ढंगों से द्वारा प्राप्त किया जाना है।

भारत एक समाजवादी राज्य है के शब्द का वास्तविक अर्थ यह है; कि भारत एक लोकतन्त्रीय समाजवादी राज्य है। इससे

KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna-6 Mob : 8877918018, 875735880 By : Karan Sir

सामाजिक-आर्थिक न्याय के प्रति वचनबद्धता का पता लगता है; जिसको देश ने लोकतन्त्रीय ढंग के द्वारा प्राप्त किया जाना है।

3. भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है

42वें संशोधन के द्वारा 'धर्म-निरपेक्षता' को भारतीय राज्य की एक प्रमुख विशेषता के रूप में प्रस्तावना में स्थान दिया गया। इसको शामिल करने से भारतीय संविधान की धर्म-निरपेक्ष प्रवृति को और स्पष्ट किया गया; भारत ने सभी धर्मों को एक समान अधिकार देकर धर्म-निरपेक्षता को अपनाया है। अनुच्छेदों 25 से 28 तक संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार देता है। राज्य नागरिकों की धार्मिक स्वतन्त्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करता और संविधान धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर लगाने की मनाही करता है।

4. भारत एक लोकतान्त्रिक राज्य है।

प्रस्तावना भारत को एक लोकतन्त्रीय देश घोषित करती है; भारत के संविधान में एक लोकतन्त्रीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। सरकार की सत्ता लोगों की प्रभुसत्ता पर निर्भर है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, संगठन स्थापित करने का अधिकार और सरकार की नीतियों की आलोचना और विरोध करने का अधिकार, अपने विचार प्रकट करने और बोलने की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्रता और शान्तिपूर्वक सभाएँ करने की स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिक को दी गई है। लोग चुनावों के द्वारा सरकार को परिवर्तित कर सकते हैं। सरकार को सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं; यह संविधान के दायरे में रह कर ही कार्य कर सकती है।

5. भारत एक गणराज्य है

प्रस्तावना भारत को एक गणराज्य घोषित करती है। भारत का शासन किसी राजा या मनोनीत मुखिया के द्वारा नहीं चलाया जाता। राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित मुखिया होता है जोिक एक निर्धारित कार्यकाल के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। गणराज्य अर्थात यह एक ऐसी सरकार होती है; जो अपने अधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से लोगों की महान् संस्था से प्राप्त करती है; और ऐसे लोगों के द्वारा चलाई जाती है; जो लोगों की इच्छा के अनुसार ही अपने पदों पर सीमित समय के लिए या अच्छे व्यवहार तक बने रह सकते हैं; भारत उन शर्तों को पूर्ण करता है और इसलिए यह एक गणराज्य है।

3. राज्य के उद्देश्य

संविधान की प्रस्तावना चार प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करती है; जो कि इसके सभी नागरिकों के लिए प्राप्त किए जाने हैं।

- न्याय भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्य को स्वीकार करता है। अर्थात किसी भी नागरिक से जाति-पाति, नस्ल, रंग, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव न किया जाए और उन्होंने समाज के साथ, आर्थिक और एक ही जैसे राजनीतिक अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करना है।
- स्वतन्त्रता प्रस्तावना स्वतन्त्रता को दूसरा मुख्य उद्देश्य घोषित करती है राज्य का कर्त्तव्य है; िक यह लोगों की स्वतन्त्रता को सुरक्षित करे, विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता प्रदान करें, धार्मिक विश्वास और पूजा पाठ की स्वतन्त्रता को विश्वसनीय बनाए ।
- समानता समानता को प्रस्तावना तीसरा मुख्य उद्देश्य घोषित करती है। कानून की दृष्टि में सभी भारतीय एक समान हैं; और धर्म, नस्ल, लिंग, रंग, जाति-पाति या निवास आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की उपलब्धि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 समानता का अधिकार प्रदान करते हैं।
- भ्रातृभाव प्रस्तावना स्पष्ट रूप में घोषित करती है; कि लोगों के परस्पर भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देना राज्य का लक्ष्य है, तािक लोगों में भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक एकता की भावना पैदा हो। इसमें मनुष्य का सम्मान बनाए रखने और राष्ट्र की एकता और अखण्डता स्थापित करने और बनाए रखने का लक्ष्य भी शािमल किया गया है।

> Impact:

संविधान को अपनाने और पारित करने की तिथि: प्रस्तावना के अन्तिम भाग में यह ऐतिहासिक तथ्य दर्ज किया गया है; कि संविधान 26 नवम्बर, 1949 को स्वीकार किया गया। इसी दिन ही संविधान पर संविधान निर्माण सभा के प्रधान ने हस्ताक्षर किए और इसको लागू किया जाना घोषित

Q. भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करो ? (full question / short Question)

Ans: Introduction + Features + Impact



KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6 Mob: 8877918018, 875735880

Polity

By : Dr. Karan Sir

1.2. प्रस्तावना का महत्व

Order Key Points / Heading

- 1. Introduction
- 2. Significance / Importance
- 3. Act & Amendment
- 4. Conclusion

> For Student:

Use this Schema for Developing Answer Writing Skills.

Word Limit: 700 Estimated Time: 35

Draw Diagram or Chart, if required.

Use Suggested Keyword to Develop Content.

The Topic is developed using Key Point / Heading Table in the right.

> Introduction:

प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा और रीढ़ है। प्रस्तावना को पढ़े बिना संविधान को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। यह प्रस्तावना है जो इस बात का त्वरित अवलोकन प्रदान करती है कि संविधान का मसौदा क्यों तैयार किया गया था।

- > Significance / Importance :
- संविधान के आदर्शों और दर्शन की रूपरेखा: संविधान की प्रस्तावना संविधान के अंतर्निहित आदर्शों और दर्शन के साथ-साथ उन नीतिगत लक्ष्यों और उद्देश्यों को रेखांकित करती है, जिनके लिए संविधान के संस्थापक लेखकों ने लक्ष्य रखा था।
- प्रस्तावना और सर्वोच्च न्यायालय : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में प्रस्तावना के महत्व और उपयोगिता पर जोर दिया है। लक्ष्य के रूप में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा : इसमें कहा गया है। कि संविधान का लक्ष्य अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करना है। नीतियों और विधानों को डिकोड करने में सहायता: यह कानून पर एक प्रकार का प्राइमर है, और यह अक्सर नीति और विधायी अर्थ को डिकोड करने में काफी सहायक होता है। यह व्यक्त करता है 'हम लंबे समय से क्या सोच रहे थे या सपने देख रहे थे।'

ब्रिटिश शासन के दौरान आवश्यक सिद्धांतों और लक्ष्यों को धारण करता है: यह उन सभी सिद्धांतों और लक्ष्यों को समाहित करता है जिनके लिए देश ने ब्रिटिश शासन के दौरान गंभीर रूप से लड़ाई लड़ी थी। लोग संविधान के स्रोत के रूप में: यह भारत के लोगों को संविधान के स्रोत के रूप में पहचानता है। एक एक्टिंग क्लॉज है: इसमें एक्टिंग क्लॉज होता है, जो संविधान को लागू करता है। मौलिक स्वतंत्रता है: यह मौलिक स्वतंत्रता को परिभाषित करता है जिसे भारतीय लोगों ने सभी नागरिकों के लिए

सुरक्षित रखने की मांग की, साथ ही साथ सरकार और राजनीति की मूल शैली का निर्माण किया जाना था। सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक सहायता: यह सर्वोच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि कोई विशेष प्रावधान या कानून का टुकड़ा संविधान की भावना के अनुरूप

है या नहीं।

- > Act & Amendment :
- प्रस्तावना के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत संघ बनाम मदनगोपाल (1953)

अदालत ने 'हम भारत के लोग शब्द का उल्लेख किया और कहा कि' हमारे संविधान का संक्षिप्त रूप यानी प्रस्तावना भारत के नागरिकों के अधिकार को प्राप्त करता है।

🕶 डीएस नाकारा बनाम भारत संघ (1982)

अदालत ने देखा कि समाजवादी शब्द को शामिल करने का मूल कारण निर्माताओं को जानकारी देना था ताकि वे संविधान के ऐसे प्रावधान कर सके जो नागरिक को एक सभ्य जीवन प्रदान करते हैं और विशेष रूप से पालने से लेकर कब्र तक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

 एयर इंडिया वैधानिक निगम बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन (1992)

अदालत ने कहा कि समाजवाद की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य कानून के शासन के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है।

अदालत ने कहा कि न्याय का उद्देश्य नागरिक के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हितों को सुरक्षित करना और जीवन का अवसर और एक मानक प्रदान करना और उन्हें सम्मान के साथ जीने की अनुमति देना है।

- सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य (1974) इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मिनरपेक्षता की अवधारणा की व्याख्या की। इसका मतलब धर्म विरोधी नहीं है बिल्क इसका मतलब है कि राज्य हर धर्म का सम्मान करेगा और उनकी प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा लेकिन किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा।
- मोहन लाल बनाम जिलाधिकारी, रायबरेली (1992) न्यायालय का मत था कि लोकतंत्र एक राजनीतिक अवधारणा है जिसमें जनता सीधे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन में अपनी भागीदारी देती है।
- यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002) न्यायालय का विचार था कि लोकतन्त्र एक कल्याणकारी राज्य के लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य है, जनता को अपना नेता चुनने का अवसर मिलना चाहिए जो जनता के लिए कार्य कर सके।
- बेरुबरी यूनियन केस (1960)
 प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई शब्द अस्पष्ट है या उसकी एक से अधिक व्याख्याएं हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में नियोजित किया जा सकता है।
 प्रस्तावना के महत्व की इस स्वीकृति के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि प्रस्तावना कानून की स्पष्ट आवश्यकताओं की जगह ले सकती है।
 क्योंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी मामले में निर्धारित किया कि इसे कभी भी पर्याप्त शिक्त के स्रोत के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती।
- कशवानंद भारती केस (1973)
 सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले (1973) में पहले की
 राय को खारिज कर दिया, यह फैसला करते हुए कि प्रस्तावना
 संविधान का एक हिस्सा है जिसे संविधान के अनुच्छेद 368
 के तहत संशोधित किया जा सकता है।

42 वें संशोधन ने बाद में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मिनरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़कर प्रस्तावना में संशोधन किया। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रस्तावना की महान और महान दृष्टि के प्रकाश में संविधान को पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया केस (1995)

सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी ऑफ इंडिया मामले में फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इस प्रकार, मूल विचार, उद्देश्य, और दार्शनिक मान्यताएं जो भारत के संविधान के लिए हैं, स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसलों के बावजूद, दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है— प्रस्तावना न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और न ही इसके अधिकार पर कोई सीमा है। इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं हैं क्योंकि यह गैर-न्यायिक है।

> Conclusion:

प्रस्तावना विधियों, या संविधान के परिचय के रूप में कार्य करती है। एक प्रस्तावना एक विधान पारित करने के लक्ष्य के साथ विधायिका द्वारा जारी एक घोषणा है, और यह किसी कानून की व्याख्या में उपयोगी है। प्रस्तावना की देश की नियति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय संविधान, दुनिया के सबसे प्रशंसित संविधानों में से एक, उस समय दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को तोड़फोड़ करने के बाद अधिनियमित किया गया था। हमने जो संविधान बनाया है, वह समय की कसौटी पर खरा उतरा है। हालांकि प्रावधानों को अन्य संविधानों से उधार लिया गया था, भारत के संविधान में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधान से अलग करती हैं।

- Q.1.भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति और महत्व का मूल्यांकन करें।
- Q.2.भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित दर्शन की प्रासंगिकता और महत्त्व का परिक्षण कीजिए।



KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna-6 Mob: 8877918018, 875735880

Polity

By: Karan Sir

2. भारतीय संविधान

Order Key Points/Heading 1. Introduction

- 2. Facts
- 3. Conclusion

> For Student:

- Use this Schema for Developing Answer Writing Skills.
- Word Limit: 700Estimated Time: 35
- Draw Diagram or Chart, if required.
- Use Suggested Keyword to Develop Content.
- The Topic is developed using Key Point / Heading Table in the right.

> Introduction:

15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र बना । संविधान बनाने के लिए राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में संविधान समिति बनाई गई। जनवरी 26, 1949 को यह बन कर तैयार हो गया और इस पर हस्ताक्षर हुए।

> Facts:

- 26 जनवरी, 1950 से यह प्रभाव में आया और भारत एक सर्वप्रभुसत्ता सम्पत्र लोकतंत्रीय गणराज्य बन गया। इसका तात्पर्य यह है कि भारत पर इसके किसी भी कार्य नीति आदि के संबंध में किसी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं हैं और यहां की जनता और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों में ही अंतिम और संपूर्ण शक्ति है।
- केन्द्र में, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपित ही देश का प्रधान है। लेकिन वास्तविक सत्ता का उपयोग प्रधान मंत्री और उनका मंत्री मंडल करता है। प्रधान मंत्री और उनके सहयोगी मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के दो घर हैं- लोक सभा, राज्य सभा।
- लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जान हैं। हर व्यस्क भारतीय को चुनाव में अपना मताधिकार उपयोग करने की स्वतंत्रता रहती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के वयस्क मतदाता राज्यों में विधानसभाओं के सदस्यों का भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं।

- राज्यों में राज्यपाल प्रमुख है। लेकिन वास्तिवक सत्ता मुख्यमंत्री और उसके मंत्रीमंडल में नीहित रहती है। देश में सारे कार्य राष्ट्रपित के नाम पर किये जाते हैं। वह सेना के तीनों अंगों का प्रधान होता है, लेकिन यह सब औपचारिक होता है। सारी सत्ता और शक्ति प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी मंत्रियों में होती है।
- हमारा संविधान पूरी तरह लिखित है। इसकी कई अन्य विशेषताएं भी हैं। यह लचीला भी हैं और कठोर भी । इसका लचीलापन देश के विकास में सहायक है। इसका कई बार आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जा चुका है।
- यह संघीय भी है और केन्द्रीय भी केन्द्र व राज्यों के बीच अधि कारों और विषयों का साफ-साफ बंटवारा है लेकिन केन्द्र अधिक शक्तिशाली है। केन्द्र ही राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हैं।
- यह संविधान भारतीय नागरिकों को उनके मूल अधिकार प्रदान करता है। यदि उनका उल्लंघन होता है, तो कोई भी न्यायालय की शरण जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता पर आंच न आने दे । इन अधिकारों में स्वतंत्रता, धर्म और समानता के अधिकार प्रमुख हैं। संविधान में नागरिकों के दायित्व और कर्तव्य भी बताये गये हैं ।
- संविधान में दिये गये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकार को अपनी नीतियाँ बनाते समय इनको ध्यान में रखना होता है, लेकिन इनका पालन करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। हमारे न्यायालय पूर्णत: स्वतंत्र हैं।
- हमारा उच्चतम न्यायालय किसी भी नियम-कानून पर विचार कर सकता है और आवश्यक हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हमारा देश एक धर्मिनरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से स्वतंत्रता है। यहां कोई राज्य धर्म नहीं हैं केन्द्र या राज्य सरकारें किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेती। धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है।
- हमारा संविधान लगभग 50 वर्ष पुराना है। इससे हमारे देश को आगे बढ़ने में बड़ी सहायता मिली है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसमें हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं के

अनुरूप मूलभूत परिवर्तन होना चाहिये। इसका निर्माण संविधान समिति ने किया था। इसके सभी सदस्य बड़े विद्वान और देशभक्त थे लेकिन वे सच्चे अर्थों में जनप्रतिनिधि नहीं थे क्योंकि वे जनता द्वारा नहीं चुने गये थे।

2.1. भारतीय संविधान की विशेषताएं

Order Key Points/Heading	
1.	Introduction
2.	Characteristics
3.	Conclusion

> For Student:

- Use this Schema for Developing Answer Writing Skills.
- Word ¹Limit: 700
- Estimated Time : 35
- Draw Diagram or Chart, if required-
- Use Suggested Keyword to Develop Content.
- The Topic is developed using Key Point / Heading Table in the right.

> Introduction:

- संविधान विशेष कानूनी शुचिता वाले लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का दस्तावेज है। देश के बाकी सभी कानून और रिति-रिवाजों को वैध होने के लिए इसका पालन करना होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जिसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचि और 22 हिस्से थे। यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। वर्तमान में, भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। समय-समय पर संविधान में कई संशोधन किए गए हैं। जैसे 42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा कई बदलाव किए गए।
- Characteristics: संविधान की मुख्य विशेषताएं:
- संघ और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान भारत में संघ और राज्य दोनों ही के लिए एक ही संविधान है। संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों के सिम्मिलन को बढ़ावा देता है। एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। यह संसद को नए राज्य के गठन या मौजूदा राज्य को समाप्त करने या उसकी सीमा में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है।
- संविधान के स्रोत भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिए हैं और देश की उपयुक्तता और जरुरतों के लिहाज से उसमें संशोधन किया है। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान युनाइटेड किंग्डम से लिए गए हैं।

- कठोरता और लचीलापन— भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोध न के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है जबिक लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है।
- धर्मिनिरपेक्ष देश धर्मिनरपेक्ष देश शब्द का अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देशमें समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अलावा, सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी।
- भारत में संघवाद भारत के संविधान में संघ / केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, दो सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व को भी पूरा करता है। इसलिए भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है।
- सरकार का संसदीय स्वरूप भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में दो सदनों लोकसभा और राज्य सभा, वाली विधायिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है।
- एकल नागरिकता भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके खअलावा, भारत में, किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने और कुछ स्थानों को छोड़कर भारत की सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार है।
 - एकीकृत और स्वतंत्र न्यापालिका— भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं जैसे कि जजों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की निर्धारित शर्तें आदि।
- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 50) में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती हैं जो कि मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिकता में वर्गीकृत हैं।
- मौलिक कर्तव्य इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, एक नया हिस्सा, भाग IV, बनाया गया और अनुच्छेद 51 ए के तहत दस कर्तव्य शामिल किए गए। यह प्रावधान नागरिकों को इस बात की याद दिलाता है कि अधिकारों का

उपयोग करने के दौरान उन्हें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए।

- सार्वभौम व्यस्क मताधिकार भारत में, 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश, – लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधि कार प्राप्त है। सार्वभौम व्यस्क मताधिकार सामाजिक असमानताओं को दूर करता है और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है।
- आपातकाल के प्रावधान देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपित को कुछ खास कदम उठाने का अधिकार है। आपातकाल लगा दिए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। जरुरत के अनुसार आपातकाल देश के कुछ हिस्सों या पूरे देश में लगाया जा सकता है।

Conclusion:

- इस प्रकार भारत का संविधान सबसे निचले स्तर या जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और सत्ता के विकंद्रीकरण के रूप में खड़ा है। इन शक्तियों और अधिकारों के कमजोर पड़ने की किसी भी संभावना को देखते हुए, संविधान के संरक्षक के रूप में काम करने, संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यकारी अधिनियम को रद्द करने और इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता लागू करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।
- Q. 1. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

2.2. संविधान के प्रावधानों के विभिन्न स्त्रोत

> Introduction:

संविधान, किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है।

Background:

संविधान विशेष कानूनी शुचिता वाले लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का दस्तावेज है। देश के बाकी सभी कानून और रीति-रिवाजों को वैध होने के लिए इसका पालन करना होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जिसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचि और 22 हिस्से थे। यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। वर्तमान में, भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। समय-समय पर संविधान में कई संशोधन किए गए हैं। जैसे 42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा कई बदलाव किए गए।

➤ Aims / Objective :

- सरकार के अंगों का सृजन करना जैसे विधान पालिका,
 कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि। झ सरकार के अंगों की
 शक्तियों जैसे कर्तव्यों, दायित्वों आदि को निर्धारित करना। –
- 🕶 सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना ।

> Features : विदेशी स्रोत

- संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में होने का प्रावधान, न्यायायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के नयायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात ।
- ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली ।
- आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपित के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपित द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध ।
- आस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार । झ जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ।
- कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अविशष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास।
- दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान।
 झ रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान।
- 🕶 जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
- स्विट्जरलैंड से संविधान की सभी सामाजिक नीतियों के संदर्भ में निदेशक तत्वों का उपबंध ।
- फ्रांस से गणतांत्रिक व्यवस्था, अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश, संविधान विशेषज्ञ के विचार, न्यायिक निर्णय, संविधियां।
- 🖝 इटली से मूल कर्तव्यों की भाषाएं भावना ।

> भारतीय स्रोत

- भारतीय संविधान के स्रोत में भारत शासन अधिनियम 1935 शामिल है। 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुछेद इसी से लिए गए हैं या उनमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है।
- 1935 अधिनियम के प्रमुख प्रावधान संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपित की आपा राष्ट्रपित की तत्कालीन शक्तियां अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, उच्चतम न्यायालय का निम्न स्तर के न्यायालय पर नियंत्रण, केंद्रीय शासन का राज्य के शासन में हस्तक्षेप, व्यवस्थापिका के दो सदन।

- Significance / Importance संविधान की मुख्य विशेषताएं
- संघ और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान भारत में संघ और राज्य दोनों ही के लिए एक ही संविधान है। संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों के सम्मिलन को बढ़ावा देता है। एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। यह संसद को नए राज्य के गठन या मौजूदा राज्य को समाप्त करने या उसकी सीमा में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान के स्रोत भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिए हैं और देश की उपयुक्तता और जरुरतों के लिहाज से उसमें संशोधन किया है। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान यूनाइटेड किंग्डम से लिए गए हैं।
- कठोरता और लचीलापन भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोध न के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है जबिक लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है।
- धर्मिनिरपेक्ष देश धर्मिनरपेक्ष देश शब्द का अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अलावा, सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी।
- भारत में संघवाद भारत के संविधान में संघ / केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, दो सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व को भी पूरा करता है। इसलिए भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है।
- सरकार का संसदीय स्वरूप भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में दो सदन लोकसभा और राज्य सभा वाली विधायिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप में, विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है।
- एकल नागरिकता भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा, भारत में, किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने और कुछ स्थानों को छोड़कर भारत की सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार है।

- एकीकृत और स्वतंत्र न्यापालिका भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं जैसे कि जजों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की निर्धारित शर्ते आदि ।
- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत— संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती हैं जो कि मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकता में वर्गीकृत हैं।
- मौलिक कर्तव्य इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस उद्देश्य के लिए एक नया हिस्सा, भाग प्ट ए बनाया गया और अनुच्छेद 51 ए के तहत दस कर्तव्य शामिल किए गए। यह प्रावधान नागरिकों को इस बात की याद दिलाता है कि अधिकारों का उपयोग करने के दौरान उन्हें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए।
- सार्वभौम व्यस्क मताधिकार भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश, – लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधि कार प्राप्त है। सार्वभौम व्यस्क मताधिकार सामाजिक असमानताओं को दूर करता है और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है।
- अापातकाल के प्रावधान देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपित को कुछ खास कदम उठाने का अधिकार है। आपातकाल लगा दिए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। जरुरत के अनुसार आपातकाल देश के कुछ हिस्सों या पूरे देश में लगाया जा सकता है।

Conclusion:

भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्त्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम, 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं, जो 1935 ई० के अधि नियम से या तो शब्दश: लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है।



KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna-6 Mob: 8877918018, 875735880

Polity

By : Karan Sir

3. मौलिक अधिकार

Order Key Points/Heading	
1.	Introduction
2.	Characteristics
3.	Acts/Law/Clause
4.	Conclusion

> Introduction:

- अधिकार सामाजिक जीवन की उन दशाओं को कहा जाता है जिनके बिना मनुष्य प्राय: अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अत: व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिये जो अधिकार नितान्त आवश्यक होते हैं उनको ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। आधुनिक युग में प्राय: सभी लिखित संविधानों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ये अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत होते हैं, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के अतिक्रमण से उन्हें सुरक्षित रखा जाता है तथा न्यायपालिका उनके संरक्षक के रूप में कार्य करती है।
- मौलिक अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री के सुब्बाराव ने कहा है, 'मौलिक अधिकार परस्पर प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है।' जैसा कि एक लेखक ने कहा है, 'वे नैतिक अधिकार हैं, जिन्हें हर साल में हर जगह, हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिये क्योंकि अन्य प्राणियों के विपरीत वह चेतन तथा नैतिक प्राणी है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिये वे आद्य अधिकार हैं। वे ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य को स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं।'

> Classification:

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण :

- भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 क संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44 वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों को सात श्रेणियों में
- बांटा जाता था परंतु इस संशोधन के अनुसार संपित के अधिकार को सामान्य कानुनी अधिकार बना दिया गया।
- भारतीय नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्राप्त है:-

- 🕨 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक।
- स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक।
- शोषण के विरुध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक।
- धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक।
- सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक।
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

समानता का अधिकार भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है जो धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के बावजूद सभी के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है। यह सरकार में रोजगार के समान अवसरों को सुनिश्चित करता है और जाति, धर्म आदि के आधार पर रोजगार के मामलों में राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ बीमा करता है। इस अधिकार में उपाधियों के साथ-साथ अस्पृश्यता का उन्मूलन भी शामिल है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

- स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है। भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। स्वतंत्रता के अधिकार में कई अधि कार शामिल हैं जैसे:
 - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
 - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
 - बिना हथियारों के सभा की स्वतंत्रता
 - संघ की स्वतंत्रता
 - कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता
 - देश के किसी भी हिस्से में रहने की आजादी
- इनमें से कुछ अधिकार राज्य सुरक्षा, सार्वजिनक नैतिकता और शालीनता और विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की कुछ शर्तों के अधीन हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य को उन पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 24)

इस अधिकार का तात्पर्य मानव के व्यापार, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। इसका तात्पर्य कारखानों आदि में बच्चों के निषेध से भी है। यह संविधान 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों में काम करने से रोकता है।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

यह भारतीय राजनीति की धर्मिनरपेक्ष प्रकृति को इंगित करता है। सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। विवेक, पेशे, अभ्यास और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने, धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार है।

5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

ये अधिकार धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उन्हें उनकी विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। शैक्षिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32-35)

नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संविधान उपचार की गारंटी देता है। सरकार न तो किसी के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है और न ही किसी के अधिकारों पर अंकुश लगा सकती है। जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित पक्ष अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है।

Acts/Law/Clause : The Writs (रिट)

- मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, न्यायपालिका को अधि कार जारी करने की शक्ति से लैस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक आदेश या निम्नलिखित रिट जारी कर सकता है:
- (i) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर हो सकता है। यह एक रिट या कानूनी आदेश है जिसके लिए किसी व्यक्ति को अदालत या न्यायाधीश के समक्ष पेश करने की आवश्यकता होती है जिसे हिरासत में लिया जाता है या कैद किया जाता है। रिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति को अवैध रूप से या पर्याप्त कारण के बिना नहीं रखा जा रहा है। यह उस अधिकारी या निजी व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने अपनी हिरासत में किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बाद वाले को अदालत के सामने पेश किया जाता है ताकि अदालत को पता चल सके कि उसे किस आधार पर कैद किया गया है।
- (ii) परमादेश (Mandamus): परमादेश एक कानूनी शब्द है जो एक अदालत द्वारा जारी एक रिट या आदेश को संदर्भित करता है जो एक सार्वजनिक अधिकारी या निचली अदालत को एक विशिष्ट कर्तव्य करने या एक विशेष तरीके से कार्य करने का आदेश देता है। परमादेश रिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी अधिकारी और निचली अदालतें कानून के

- अनुसार और जनिहत में अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसका शाब्दिक अर्थ कमान है। यह व्यक्ति को कुछ सार्वजनिक या कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश देता है जिसे करने से व्यक्ति ने मना कर दिया है।
- (iii) निषेध (Prohibition): निषेध की रिट एक अदालत द्वारा जारी एक कानूनी आदेश है जो एक निचली अदालत या एक सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर या उसके वैध अधिकार से अधिक कार्य करने से रोकता है। निषेध की रिट का उद्देश्य एक अदालत या प्राधिकरण को अपने अधि कार क्षेत्र से अधिक या मनमाना या अवैध तरीके से कार्य करने से रोकना है। यह रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है तािक वह अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा से अधिक न हो। यह कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान जारी किया जाता है।
- (iv) उत्प्रेषण-लेख (Certiorari): उत्प्रेषण- लेख एक कानूनी शब्द है जो एक अदालत द्वारा जारी रिट या आदेश को संदर्भित करता है जो निचली अदालत या सार्वजनिक प्राधिकरण के फैसले की समीक्षा करना चाहता है। उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निचली अदालतें और सार्वजनिक प्राधिकरण कानून के अनुसार काम करते हैं और यह कि उनके फैसले मनमाना या अवैध नहीं हैं। यह रिट न्यायालयों या अधिकरणों के आदेश या निर्णय को रद्द करने के लिए न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के विरुद्ध भी जारी की जाती है। आदेश होने के बाद ही इसे जारी किया जा सकता है।
- (v) अधिकार पृच्छा (Quo warranto): अधिकार पृच्छा एक कानूनी शब्द है जो एक अदालत द्वारा जारी एक रिट या आदेश को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद या अधिकार की स्थिति को धारण करने के अधिकार या अधिकार को चुनौती देता है। अधिकार पृच्छा के रिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक कार्यालयों और प्राधिकार के पदों पर ऐसे व्यक्तियों का अधिकार है जो उन्हें धारण करने के लिए योग्य और पात्र हैं। यह एक कार्यवाही है जहां अदालत दावे की वैधता की जांच करती है। इसमें उच्च न्यायालय किसी सरकारी अधिकारी को हटा सकता है यदि उसने अवैध रूप से पद प्राप्त किया हो।

Conclusion :

भारतीय संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कुछ दोष तथा कि मियाँ होते हुए भी यह कहना गलत न होगा कि ये लोकतन्त्र की आधारिशला हैं। भारत के पास इतने साधन नहीं हैं कि अन्य अधिकारों को भी इनमें शामिल किया जा सके। आलोचक यह भी भूल जाते हैं कि असीमित स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करना न तो सम्भव है और न हितकर संकटकाल में इनके स्थगन की आलोचना के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की स्वतंत्रता से कहीं अधिक मूल्यवान है। श्री अल्लादिकृष्ण स्वामी अय्यर ने इस सम्बन्ध में कहा था, 'यह व्यवस्था (मौलिक अधिकारों के संकटकाल में स्थगन सम्बन्धी अत्यन्त ही आवश्यक है। यही व्यवस्था संविधान का जीवन होगी। इससे प्रजातन्त्र की हत्या नहीं वरन् रक्षा होगी।

3.1. मौलिक अधिकार का महत्व

Order Key Points/Heading	
1.	Introduction
2.	Significance/Importance
3.	Conclusion

> Introduction:

मौलिक अधिकारों को मूल रूप से बुनियादी मानवाधिकारों के रूप में जाना जाता है लेकिन ये भारत में संविधान द्वारा विनियमित होते हैं, और लोगों के लिए विशेष अधिकारों के रूप में घोषित किए जाते हैं। इन अधिकारों के एक समाज में सामंजस्यपूर्ण होने के कारण, नागरिक समाज के सभी सदस्यों के महत्व को समझने में सक्षम होते हैं, सहयोग करते हैं और तदनुसार खुद को समायोजित करते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। संविधान इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी प्रावधान करता है, इसलिए उनका न केवल एक कानूनी मूल्य है, बल्कि एक शैक्षिक मूल्य भी है, जो नागरिकों द्वारा कानून के शासन की रक्षा, सम्मान, स्वीकार करने और पूरा करने में सहायता करता है। वे राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों की समानता और गरिमा को भी बनाए रखते हैं।

> Significance/Importance:

- ये न केवल बुनियादी नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित और गारंटी देते हैं, बिल्क अल्पसंख्यक समुदायों, जाितयों, वर्गों और धार्मिक समूहों की सुरक्षा और सभी प्रकार के भेदभाव की धारणा को दूर करने और समानता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा करते हैं। ये अधिकार संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा हैं और इसलिए इन्हें किसी भी संवैधानिक कानूनों, प्रावधानों या संशोधनों द्वारा उल्लंघन, संक्षिप्त या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसा होता है तो उस विशेष कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा और मानदंडों के विरुद्ध होने के कारण शून्य घोषित किया जाएगा।
- मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकार या मूल अधिकार हैं, जिनके बिना आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र अर्थहीन है, और इसलिए वे इस समझ के साथ जुड़े हुए हैं कि किसी भी सामान्य कानून या प्रावधान से इनका उल्लंघन या दूर नहीं किया जा सकता है। न केवल लोगों की उन्नति और समाज के विस्तार के लिए, बल्कि लोगों को राज्य के उल्लंघन या ज्यादितयों से बचाने के लिए भी इन बुनियादी अधिकारों की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता माना जाता है।

- मौलिक अधिकारों को हमेशा न केवल व्यक्ति की गरिमा की रक्षा और सुनिश्चित करने के लिए नियोजित किया जाता है, बल्कि कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण भी किया जाता है जो हर इंसान को अपने चिरत्र को व्यापक रूप से विकसित करने में मदद कर सकें। यद्यपि वे राज्य पर एक अवांछनीय कर्तव्य लागू करते हैं, अर्थात् इसके विभिन्न आयामों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करना, यह मानव अधिकारों की अवधारणा के लिए आधार या जड़ बनाता है। वे किसी व्यक्ति द्वारा उसकी संपूर्ण बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति के लिए किसी भी उपलब्धि के लिए सबसे अपरिहार्य हैं।
- मौलिक अधिकार न केवल स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं बल्कि राज्य द्वारा किसी भी घुसपैठ के खिलाफ नागरिकों के एक गरिमापूर्ण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीने के अधिकार की गारंटी भी देते हैं, और इसलिए ये स्वतंत्रताएं सत्तावादी और अलोकतांत्रिक की स्थापना को रोकने या विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। देश में शासन और इसलिए, व्यक्तियों और देश के चहुंमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक हैं।

Conclusion:

हम यह कहकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये बुनियादी मानव अधिकार हैं जो न केवल मानव अस्तित्व बल्कि मानव विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मौलिक अधिकार व्यापक हैं, जिसका अर्थ है कि वे भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से व्यावहारिक हैं, चाहे उनकी जाति, जन्मस्थान, धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति, स्थिति और पहचान कुछ भी हो। इन अधिकारों का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को जीने लायक बनाना है, और यह भी सुनिश्चित करना है कि न केवल अमीर वर्गों, जातियों और समुदायों के लोग बल्कि अल्पसंख्यक और पिछडे वर्गों और जातियों के लोग भी सम्मान, समानता और सभी प्रकार की स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। वे मानव अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक और बुनियादी जरूरतों में से एक हैं जो जटिल और कठिन परिस्थितियों में उनके अस्तित्व और उन्नित के लिए सहायक और महत्वपूर्ण हैं और समय बीतने के साथ, ये अधिकार लोगों को जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण करने और उनके अनुसार निर्णय लेने में मदद करेंगे।

3.2. मौलिक अधिकार का विशेषताएँ

Order Key Points/Heading

1. Key information

Key information :

भारत के संविधान में लिखित मौलिक अधिकार विश्व की संविधान में मौलिक अधिकारों से बहुत बड़ा है इनके बड़ा होने का कारण इनके अधिकारों के साथ प्रतिबंधों का भी व्यवस्था किया गया है।

- संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं न्यायपालिका को दिया है और संविधान में न्यायालयों को आदेश दिया है कि वे हमेशा इस बात का ध्यान दें कहीं मौलिक अधिकारों का अवहेलना ना हो।
- यदि मौलिक अधिकारों के खिलाफ केंद्र अथवा राज्य द्वारा कोई कानून लागू किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय को उसे अवैध घोषित करने की शक्ति भी प्राप्त है।
- मौलिक अधिकार विभिन्न धर्मों में तालमेल बनाए रखने की अधिकार भी प्रदान करती है।
- कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ख मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं लेकिन योग्य हैं। मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस तरह के प्रतिबंधों का औचित्य SC द्वारा तय किया जाता है।
- ये अधिकार व्यक्ति के अधिकारों और संपूर्ण समाज के अधिकारों के बीच, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं।
- अधिकांश अधिकार राज्य के कार्यों के विरुद्ध उपलब्ध हैं लेकिन कुछ निजी व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं।
- कुछ मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक होती हैं जबिक अन्य सकारात्मक होती हैं। नकारात्मक मौलिक अधिकार सरकार पर सीमाएं लगाती हैं, जबिक सकारात्मक मौलिक अधिकार सरकार पर उपाय करने का दायित्व डालती हैं।
- 🖝 मौलिक अधिकार प्रकृति में न्यायोचित हैं।
- मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं। इसलिए एक पीड़ित पक्ष अपील के बजाय सीधे किसी भी उल्लंघन के लिए SC से संपर्क कर सकता है।
- संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से एफआर के प्रावधानों में तब तक संशोधन कर सकती है जब तक कि वे भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करते हैं।
- अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार को युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के संचालन के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है।
- मौलिक अधिकार का दायरा अनुच्छेद 31ए, 31बी और 31 सी द्वारा सीमित है। ख संसद सशस्त्र बलों, अर्ध सैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान सेवाओं के मामले
- मौलिक अधिकार के आवेदन को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है।
- मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ख केवल संसद ही मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए कानून बना सकती है।

3.3 भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 21 का दायरा

0	Order Key Points/Heading	
1.	Introduction	
2.	Features	
3.	Role & Schope	
4.	Act / Law / Clause	
5.	Other Facts	

> For Student:

- Use this Schema for Developing Answer Writing Skills.
- Word Limit:700
- Estimated Time: 35
- Draw Diagram or Chart, if required.
- Use Suggested Keyword to Develop Content.
- The Topic is developed using Key Point / Heading Table in the right.

Introduction:

- अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।' इस प्रकार अनुच्छेद 21 दो अधिकारों को सुरक्षित करता है:
 - (1) जीवन का अधिकार, और
 - (2) व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की स्थापना के लिए प्रदान किया गया। यह घोषणा करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के भाग द्यद्य के अंतर्गत आता है और भारत के सभी नागरिकों के लिए गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से एक है।

> Features:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से सम्बंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं:

- अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान के भाग- II में शामिल है।
- यह अधिकार सभी नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों को भी समान रूप से उपलब्ध है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को 'मौलिक अधिकारों का दिल' बताया है।
- न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार, अनुच्छेद 21 'लोकतांत्रिक समाज में सर्वोच्च महत्व के संवैधानिक मूल्य का प्रतीक है।'
- अनुच्छेद 21 दो अधिकारों को सुरक्षित करता है: जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ।
- आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

➤ Role & Schope:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अर्थ और दायरा

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का अर्थ पशु अस्तित्व या केवल सांस लेने की क्रिया नहीं है। यह एक गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। वर्तमान में अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल कुछ अधिकारों में शामिल हैं (मेनका मामले में उल्लिखित):
- 🖝 मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार।
- प्रदूषण मुक्त जल और वायु और सुरक्षा सिंहत सभ्य पर्यावरण का अधिकार
- 🕶 खतरनाक उद्योगों के खिलाफ।
- 🖝 आजीविका का अधिकार द्य झ एकान्तता का अधिकार।
- 🖝 आश्रय का अधिकार।
- स्वास्थ्य का अधिकार।
- 🕶 14 वर्ष की आयु तक नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार।
- 🕶 मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार।
- 🖝 एकान्त कारावास के विरुद्ध अधिकार।
- शीघ्र परीक्षण का अधिकार। झ हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार।
- 🖝 अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार।
- 🖝 विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार।
- 🖝 विदेश यात्रा का अधिकार।
- 🖝 बंधुआ मजदुरी के खिलाफ अधिकार।
- 🖝 हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार।
- 🕶 आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार।
- ൙ सरकारी अस्पताल में समय पर इलाज का अधिकार।
- 🖝 किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार।
- 🖝 निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।
- जीवन की आवश्यकताएं रखने के लिए कैदी का अधिकार।
- शालीनता और गिरमा के साथ व्यवहार किए जाने का महिलाओं का अधिकार
- सार्वजिनक फाँसी के विरुद्ध अधिकार।
- 🕶 सुनवाई का अधिकार।
- 🖝 सूचना का अधिकार।
- प्रतिष्ठा का अधिकार।
- 🖝 सजा के फैसले से अपील का अधिकार।
- 🖝 सामाजिक सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा का अधिकार।
- 🖝 सामाजिक और आर्थिक न्याय और अधिकारिता का अधिकार
- 🖝 बेड़ियों के खिलाफ सही।
- 🖝 उपयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार।
- सोने का अधिकार।
- 🛩 ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार।
- 🕶 बिजली का अधिकार।

Act/Law/Clause:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय: खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य इस मामले में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया था।
- सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन: इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी व्यक्तियों के लिए घातक हथकड़ी को असंवैधानिक माना क्योंकि यह कैदी के प्रति अमानवीय व्यवहार का सुझाव देता है। अदालत ने अनुच्छेद 21 के तहत दोषी और अभियुक्त व्यक्ति को संरक्षणष् खंड को दोहराया।
- मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, 1992 SC: SC ने माना कि जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है।
- उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1993 SC: इस मामले में, SC ने उम्र तय की कि 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
- सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्यः SC ने प्रदूषण मुक्त हवा पाने के अधिकार को जीवन के अधिकार के दायरे में शामिल किया।
- लछमा देवी बनाम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया : इस मामले में, SC ने सार्वजनिक स्थान पर मौत की सजा को असंवैधानिक करार दिया।
- Other Facts :
 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित महत्वपूर्ण मामले
- एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1951: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की है। यह माना गया कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है और मनमाना विधायी कार्रवाई से नहीं। इसका मतलब यह है कि राज्य एक कानून के आधार पर किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 में उपलब्ध अधिकारों से वंचित कर सकता है।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 : इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए गोपालन मामले के अपने फैसले को खारिज कर दिया। इसने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कानून द्वारा वंचित किया जा सकता है। शर्त है कि उस कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है। इसके अलावा, इसने स्पष्ट किया कि जीवन के अधिकार का अर्थ केवल पशु अस्तित्व नहीं है। इसमें यह माना गया कि जीवन के वे सभी पहलू जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं, इसमें शामिल होंगे।



KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna-6 Mob : 8877918018, 875735880

Polity

By: Karan Sir

4. राज्य के निति निर्देशक तत्व

Order	Key Points/Heading
1.	Introduction
2.	Facts
3.	Diffrence
4.	Way Forward

For Student:

- Use this Schema for Developing Answer Writing Skills.
- Word Limit: 700
- Estimated Time: 35
- Draw Diagram or Chart, if required.
- Use Suggested Keyword to Develop Content-
- The Topic is developed using Key Point/Heading Table in the right.

Introduction :

राज्य की नीति के निदेशक तत्व से आशय संविधान द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य किस प्रकार के तत्वों पर अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा। राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाता है और उन नीतियों से इस देश का संचालन करता है।

संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों (DPSP In Hindi) का उल्लेख किया गया है । नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह इसे लागू करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती।

> Facts:

- नीति निदेशक तत्व आदर्श तत्व है जिनको हर सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण और कानून बनाने में सदैव ध्यान में रखेगी इसमें वह आर्थिक सामाजिक और प्रशासनिक सिद्धांत अंतर्निहित है जो भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल है। यह दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं तत्वों की मांग पर लड़ा गया था जिन तत्वों को राज्य की नीति निदेशक तत्व बनाए गए। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय भारत की जनता को लिखित रूप में यह दे दिया है कि जिन विचारों, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत की जनता ने इतना लंबा संग्राम लड़ है उनको भारत की सरकार पूरा करेगी।
- जब संविधान बनाया गया था उस समय लोगों को शासन करने का और देशहीत में कानून बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था। खासकर के राज्यों के लिए जो कि एक लंबे औपनिवेशिक काल के बाद शासन संभालने वाले थे। और जैसा कि हम जानते है कि हमारे देश में राजनेताओं के लिए पढ़ा-लिखा होना कोई अनिवार्य नहीं है, ऐसे में जब वे देश या राज्य का सत्ता संभालेंगे और जनहित में कानून बनाएँगे तो हो सकता है वो देशहित में कम और व्यक्ति हित में ज्यादा हो।
- संविधान सभा के बुद्धिजीवी (Intellectual) और दूरदर्शी (Visionary) सदस्यों ने ये पहले ही भांप लिया था इसीलिए उन्होने राज्य के नीति निदेशक तत्व जैसे क्लॉज को जोड़ा तािक, जब भी राज्य कोई कानून बनाए तो ये निदेशक तत्व एक गाइड की तरह काम करें और नीति-नियंताओं को सही रास्ता दिखाएं।

Diffrence: मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में प्रमुख अंतर:-

क्र.सं.	मौलिक अधिकार	नीति निर्देशक तत्व
1.	मौलिक अधिकारों को अमेरिका के	नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान को भारत
	संविधान से लिया गया है।	के संविधान में आयरलैंड के संविधान से
		अधिग्रहित किया गया है।
2.	मौलिक अधिकारों का वर्णन भारत के	नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय
	संविधान के भाग 3 में किया गया है।	संविधान के भाग 4 के तहत किया गया
		है।
3.	अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता	DBA/
	है या लागू नहीं होते हैं, तो हम इसके	नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाने के
	लिए न्यायालय में जा सकते हैं।	लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा
	The state of the s	सकते हैं। यह सिर्फ राज्य पर निर्भर करता
		है कि वह लागू करें या ना करें
4.	मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है व्यक्ति	नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य यह है कि
	के अधिकारों का हनन होने से बचाना।	समाज लोक कल्याणकारी हो और समाज
		की भलाई हो
5.	मौलिक अधिकार सरकार के महत्व	नीति निर्देशक तत्व में सरकार के
	कोघटाता है, क्योंकि इसमें सरकार को	अधिकारों को बढ़ाता है।
	सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार	
	प्रदान करने होते हैं और उन अधिकारों	de
	का हनन नहीं कर सकते।	allahpurs
6.	मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के	नीति निर्देशक तत्व सरकार के लागू करने
	लिए स्वतः ही प्राप्त होता है।	के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं
Vay Forward :		

Way Forward:

🖝 इस स्थिति में अगर सारे कानूनों को लागू कर दिया जाता तो, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर और भी दबाव आ जाता और इसके क्रियानन्वयन करने में बहुत बाधाएँ आती है। इसीलिए यही ठीक समझा गया कि इस तरह के प्रावधानों को राज्य के नीति निदेशक तत्व बना दिया जाये ताकि भविष्य में जैसे-जैसे इनके लिए कानूनों की जरूरत पडती जाएगी वैसे-वैसे इसे लागू किया जा सके।

4.1 राज्य के निति निर्देशक तत्व की उपयोगिता

Order	Key Points/Heading
1.	Introduction
2.	Arguments
3.	Features

For Student:

Use this Schema for Developing Answer Writing Skills.

Word Limit: 700Estimated Time: 35

• Draw Diagram or Chart, if required.

 Use Suggested Keyword to Develop Content-The Topic is developed using Key Point/Heading Table in the right.

> Introduction:

नीति निदेशक सिद्धांतों का महत्व (Importance of Directive Principles): उपरोक्त आधार पर नीति निदेशक सिद्धांतों की बड़ी तीव्र आलोचना की गई है फिर भी ये देश के शासन में आधारभूत महत्व रखते हैं। कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति हेगडे के अनुसार यदि हमारे संविधान में कोई भाग ऐसा है जिन पर सावधानी और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है तो वह भाग तीन और चार है। उनमें हमारे संविधान का दर्शन निहित है।

> Arguments:

नीति-निदेशक तत्वों के महत्व को दर्शाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं:

1. शासन के मूल्यांकन का आधार

इन सिद्धांतों का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि ये भारतीय जनता के पास सरकार की सफलताओं को आंकने की कसौटी हैं। मतदाता इन आदशों को सम्मुख रखकर अनुमान लगाते हैं कि शासन को चलाने वाली पार्टी ने अपनी शासन संबंधी नीति को बनाते समय किस सीमा तक इन सिद्धांतों का पालन किया है। डी. अम्बेडकर के अनुसार ष्रनिदेशक सिद्धांत हमारे आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को प्रकट करते हैं। जनता का कोई भी उत्तरदायी मंत्रिमंडल सरलता से संविधान में दिए गए इन सिद्धांतों के विरूद्ध जाने का विचार नहीं कर सकता।

2. आर्थिक स्वतंत्रता के प्रवर्तक

वास्तव में ये सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या करते है। जिसके अनुसार देश में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय स्थापित करने का वचन दिया गया है। इस प्रकार इन सिद्धांतों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान तथा आगामी कोई भी सरकार इनकी ओर से उदासीन नहीं हो सकती।

3. राज्य सरकारों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में

निदेशक सिद्धांत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का पथ-प्रदर्शन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार – इन सिद्धांतों को शासन का मौलिक आदेश घोषित किया गया है, जिन्हें कानून बनाने तथा लागू करते समय ध्यान में रखना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य माना गया है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल मंत्रिमंडल बनाए, उसे अपनी आंतरिक तथा बाह्य नीति निश्चित करते समय इन सिद्धांतों को अवश्य ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह से ये सिद्धांत मानो सभी राजनीतिक दलों के संयुक्त चुनाव घोषणा पत्र हैं। अपने कानूनी तथा कार्यकारी कामों में ये सिद्धांत प्रत्येक दल के लिए मार्गदर्शक, दार्शनिक तथा मित्र का रोल निभाते हैं।

4. संवैधानिक पवित्रता

निदेशक सिद्धांत उसी प्रकार पिवत्र है जिस प्रकार संविधान के अन्य अनुच्छेद। यह कहना ठीक नहीं कि न्यायालय की शक्ति के अभाव में वे संवैधानिक पिवत्रता खो बैठते हैं। सूर्यपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में न्यायालय ने कहा है कि यदि कानून शासन के आधारभूत सिद्धांत निदेशक तत्वों का विरोध करता है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा।

5. नीति-निदेशक सिद्धांतों के पीछे जनमत की शक्ति होती है।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत चाहे न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हों तो भी इनका विशेष महत्व है। प्रत्येक प्रजातंत्रीय सरकार को जनमत के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए कोई भी सरकार आज के युग में जनमत का विरोध नहीं कर सकती।

7. मौलिक अधिकारों का सहायक

मौलिक अधिकारों की घोषणा इसलिए की गई है कि प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, परंतु मौलिक अधिकारों को अपने उद्देश्य में तब तक सफलता नहीं मिल सकती, जब तक निदेशक सिद्धांतों को लागू न किया जाए। पायली के अनुसार- 'राजनीतिक लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे अधिक प्रभावशाली शक्ति आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। जहां आर्थिक लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र शीघ्र ही तानाशाही में बदल जाएगा।'

8. संविधान की व्याख्या करने में सहायक हैं।

इन सिद्धांतों का महत्व इस बात में भी है कि ये भारतीय न्यायालयों के लिए पथ-प्रदर्शक का कार्य करते हैं। न्यायालयों ने बहुत सारे अभियोगों का निर्णय करते हुए इनको उचित महत्व दिया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे वास्तव में भारतीय शासन के मूल आधार हैं। केरल मठ के स्वामी केशवानन्द बनाम युनियन सरकार के

करल मठ के स्वामी केशवानन्द बनाम यूनियन सरकार के मुकदमे में भी सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत विस्तार से निदेशक सिद्धांतों पर विचार किया । भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कानिया (Kania) के अनुसार- 'ये सिद्धांत संविधान का भाग होने के नाते बहुमत की अस्थायी इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि समस्त राष्ट्र की बुद्धिमत्ता के प्रतीक है जिसे संविधान सभा में प्रकट किया गया।

9. कल्याणकारी राज्य के आदर्श

नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा की गई है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है उन सभी को निदेशक सिद्धांतों में निहित किया गया है।

अनुच्छेद 38 में स्पष्ट कहा गया है- 'राज्य लोगों के कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने और उसे सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो।'

डॉ. अम्बेडकर ने कहा है- 'संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही लोकतंत्र की स्थापना नहीं है, जिसमें कानूनी शक्ति का आधार वयस्क मताधिकार होता है और कार्यकारिणी विधानमंडल होती है, बल्कि कल्याणकारी राज्य को भी बढ़ावा देना है जिसमें सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र भी होता है।'

10. नैतिक आदर्श के रूप में

कुछ आलोचकों द्वारा नीति निदेशक सिद्धांतों की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि ये मात्र नैतिक आदर्श हैं लेकिन इससे इन सिद्धांतों की महत्ता कम नहीं होती। नीति निदेशक सिद्धांतों की भांति इंग्लैंड के मैग्नाकार्टा को कोई कानूनी बल प्राप्त न था परंतु फिर भी अंग्रेज इसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार मानते हैं।

Features:

राज्य की नीति निदेशक तत्वों की विशेषताएँ (Features of Directive Principles of State Policy):

- राज्य की नीति-निदेशक तत्व से स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावशाली बनाते समय राज्य इनको ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निदेश, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिये सिफारिशे हैं।
- निदेशक तत्वों की प्रकृति न्यायोचित नहीं है। इनके हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता।
 अत: सरकार (केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय) इन्हें लागू करने के लिये बाध्य नहीं है।
- राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का उद्देश्य लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
- ये संविधान की प्रस्तावना में उद्धत सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित है।
- जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिये नीति-निदेशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है।
- नीति-निदेशक सिद्धात पर गांधीवाद, समाजवाद तथा उदारवाद का प्रभाव है
- इसके द्वारा आर्थक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है।
- इसको लागू करने का दायित्व राज्य सरकार का है।
- इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।

🗝 KHAN SIR 🦫

/& Campus, Mus

4.3 राज्य के निति निर्देशक तत्व की उपयोगिता

Order	Key Points/Heading
1.	Facts

For Student:

- Use this Schema for Developing Answer Writing Skills.
- Word Limit: 700
- Estimated Time: 35
- Draw Diagram or Chart, if required.
- Use Suggested Keyword to Develop Content.
- The Topic is developed using Key Point/Heading Table in the right.

Facts:

निदेशक तत्वों की उपयोगिता

- सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं नागरिकों का कल्याण करते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं संविधान के लक्ष्य से जुड़े हैं।
- भूमि सुधारों एवं कृषि के उन्नयन हेतु जिसका उल्लेख अनुच्छेद-48 में किया गया है, पहला, चौथा, 17वां, 25वां, 42वां एवं 44वां संविधान संशोधन किए गए।
- 73वां संविधान संशोधन (1992) अनुच्छेद 40 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों की क्रियान्वित करने की दिशा में एक कदम था।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
 अनुच्छेद 48 में उल्लिखित काम के
- अधिकार, मजदूरी, एवं निर्वाह इत्यादि की प्राप्ति के लिए बनाया गया। कुटीर उद्योगों के संवर्द्धन के लिए (अनुच्छेद 43 में उल्लिखित) खादी व ग्रामोद्योग खोले गए हैं।
- इसके अतिरिक्त सिल्क बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, नाबार्ड आदि का भी सृजन किया गया है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की दिशा में मण्डल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन किया गया, जिसे 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अनापित प्रदान की (अनुच्छेद-46)।
- पर्यावरण की संरक्षा एवं सुधार हेतु (अनुच्छेद 48क) सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण और 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की।
- जिला स्तर पर कुछ न्यायिक शक्तियों से कार्यपालिका के कार्य को संपन्न करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में किया गया संशोधन अनुच्छेद 50 का अनुसरण है।
- ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को दिया गया है जो अनुच्छेद 49 के प्रावधान का अनुपालन है। ख नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 के अनुसरण कदम था।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वन्य जीवन अधिनियम, वन नीति, 1980 आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो अनुच्छेद 48
 (क) के क्रियान्वयन की दिशा में लिए गए हैं।

